



दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

RNI NO - CHHIN/2018/76480

Postal Registration No-055/Raigarh DN CG

रायगढ़, गुरुवार 29 फरवरी 2024

पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए

वर्ष-06, अंक- 153

महत्वपूर्ण एवं खास

लखनऊ में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से फूड डिलीवरी एजेंट की मौत

लखनऊ (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक सड़क दुर्घटना में जोमेटो के लिए काम करने वाले एक फूड डिलीवरी एजेंट की मौत हो गई। पीड़ित की पहचान 30 वर्षीय अरविंद कुमार चौधरी के रूप में हुई है। वह मंगलवार रात घर लौट रहा था, जब उसके दोपहिया वाहन को कारोकी में आउटर रिंग रोड पर एक तेज रफ्तार वाहन ने कथित तौर पर टक्कर मार दी। चौधरी के हाथ-पैर कुचले हुए हुए और आंशका है कि हादसे के बाद दूसरे वाहन भी उसके ऊपर से गुजरे होंगे। मंगलवार आधी रात के बाद पुलिस को हादसे की सूचना दी गई। पीड़ित की पहचान घटनास्थल पर मिले उसके मोबाइल फोन से की गई। मामले की जांच कर रहे उपनिरीक्षक श्याम बाबू सिंह ने बताया, "मृतक के छोटे भाई ने क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान की।" सिंह ने कहा कि चौधरी जाहिर तौर पर घर लौट रहा था जब तेज रफ्तार वाहन ने उसे टक्कर मार दी। उन्होंने कहा कि घटना की जांच चल रही है।

ईडी समन की अवहेलना में हेमंत सोरेन के खिलाफ दर्ज केस पर सुनवाई पूरी, 4 मार्च को फैसला

रांची (आरएनएस)। समन की अवहेलना के आरोप में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ रांची में सीजेएम कोर्ट में दर्ज कराए गए कंटेनर केस पर बुधवार को सुनवाई पूरी हो गई। अदालत ने इस मामले में फैसले के लिए 4 मार्च की तारीख मुकदमा की है। ईडी की ओर से 20 फरवरी को दर्ज कराए गए केस में बताया गया है कि जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए उन्हें दस समन भेजे गए थे, लेकिन इनमें से मात्र दो समन पर वह उपस्थित हुए। यह पीएमएलए (प्रॉबिशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की धारा 63 एवं आईपीसी की धारा 174 के तहत गैरकानूनी है। रांची के बड़ाई अंचल से संबंधित जमीन घोटाले को लेकर ईडी ने उन्हें पहली बार 14 अगस्त 2023 को हाजिर होने के लिए समन भेजा था। इसके बाद 19 अगस्त, 1 सितंबर, 17 सितंबर, 26 सितंबर, 11 दिसंबर, 29 दिसंबर 2023 के अलावा 13 जनवरी, 22 जनवरी और 27 जनवरी 2024 को समन भेजे गए थे। दसवें समन पर उनसे 31 जनवरी को पूछताछ हुई थी और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

पाकिस्तान में अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी बस, 10 लोगों की दर्दनाक मौत

नई दिल्ली। पाकिस्तान में एक भयानक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार, रात के अंधेरे में पहाड़ियों से गुजर रही एक बस तेज रफ्तार से चल रही थी। अचानक एक मोड़ पर बस चालक नियंत्रण खो बैठा। इसके बाद बस सीधे खाई में पलटते हुए जा गिरी। जैसे ही बस अनियंत्रित हुई वैसे ही उसमें बैठे लोगों के बीच हाहाकार मच गया। जब तक कुछ लोग समझ पाते तब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे। अन्य लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। रात में हादसा होने की वजह से लोगों तक मदद पहुंचने में भी देर हुई। किसी तरह लोगों को स्थानीय जनों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में कई की हालत गंभीर बनी है।

नाइजीरिया में इमारत ढहने से 6 लोगों की मौत

अबुजा। नाइजीरिया के दक्षिण-पूर्वी राज्य अनबरा के बाजार में एक निर्माणाधीन इमारत बीती रात में ढह गई, जिसमें कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और लगभग 20 अन्य घायल हो गए। नाइजीरिया की राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि राज्य के वाणिज्यिक शहर ओनिट्या के ओडु-इबो बाजार में अन्य जीवित बचे लोगों की तलाश की जा रही है। अनाम्बरा राज्य के गवर्नर चार्ल्स सोलुडो ने मंगलवार को बाजार के दौरे के दौरान संवाददाताओं से कहा कि ढही हुई इमारत सरकार की मंजूरी के बिना एक निजी डेवलपर द्वारा बनाई गई थी। सोलुडो ने घटना को दुखद बताते हुए ने राज्य में अवैध निर्माण के मुद्दे से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। नाइजीरिया में इमारतों के ढहने के मामले आम हैं और स्थानीय विशेषज्ञ इसका दोष पुरानी संरचनाओं, भवन नियमों का पालन न करने और निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल को देते हैं।

द इको फैक्ट्री फाउंडेशन के शाश्वत भारत सेतु केंद्र का नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में भारत के पहले शाश्वत भारत सेतु - विनिंग नेट जीरो एग्रीजिबिट का उद्घाटन किया। इसका निर्माण द इको फैक्ट्री फाउंडेशन (टीईएफएफ) द्वारा किया गया है। यह सेंटर लोगों से लेकर ग्रह तक पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली, समाधान और पद्धतियों का प्रदर्शन करके अत्याधुनिक अनुभव प्रदान किया जाता है, जो नेट जीरो इंडिया का लक्ष्य हासिल करने के अभियान का नेतृत्व कर सकते हैं। द इको फैक्ट्री फाउंडेशन पुणे के फाउंडर, आनंद चोरडिया ने 'अपशिष्ट से धन, जल प्रबंधन, ऊर्जा, संरक्षण' जैसी विभिन्न अवधारणाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कार्बन फुटप्रिंट कम करने के तरीकों, चक्रीय अर्थव्यवस्था



के महत्व, ग्रामीण, शहरी, औद्योगिक और व्यक्तिगत क्षेत्रों में संवहनीयता हासिल करने और व्यापक रूप से नेट जीरो बनने की विधियों की भी जानकारी दी। उपस्थित जन-समूह को संबोधित करते हुए, गडकरी जी ने इस अनूठी पहल पर बधाई दी और इसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि, इस प्रकार का असाधारण एग्रीजिबिट प्रस्तुत करने के लिए द इको फैक्ट्री फाउंडेशन को

भी पैदा होंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह केंद्र भारत को एक नेट जीरो देश बनाने में योगदान के लिए पूरे राष्ट्र को प्रेरित करेगा। टीईएफएफ के संस्थापक, आनंद चोरडिया ने इस ऐतिहासिक पल पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शाश्वत भारत सेतु - विनिंग नेट जीरो एग्रीजिबिट हमारे जागरूकता पैदा करने और हर किसी को आसानी से नेट जीरो तथा पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करने के इरादे से संचालित था। मेरा दृढ़ विश्वास है कि शाश्वत भारत सेतु सच्चा सेतु है जो भारत को नेट जीरो हासिल करने के लिए मार्गदर्शन करेगा। हमें आशा है कि यह केंद्र पर्यावरण के अनुकूल भविष्य की दिशा में इस अभियान में हमसे जुड़ने के लिए अनेक लोगों तक पहुंच कर उन्हें प्रोत्साहित करेगा।

संदेशखाली मामले में हाईकोर्ट ने किया स्पष्ट, किसी भी राज्य या केंद्रीय एजेंसी को शाहजहां को गिरफ्तार करने का अधिकार

कोलकाता (आरएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने बुधवार को यह स्पष्ट कर दिया कि कोई भी जांच एजेंसी, चाहे वह राज्य या केंद्र सरकार के अधीन हो, फरार तृणमूल कांग्रेस नेता शेष शाहजहां को गिरफ्तार करने का अधिकार रखती है। शाहजहां 5 जनवरी को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में ईडी और सीएपीएफ अधिकारियों पर हुए हमले का आरोपी मास्टरमाइंड है। मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने सत्ताहृदय दल के नेता की गिरफ्तारी से संबंधित मामले पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि हालांकि ईडी और सीएपीएफ अधिकारियों पर हमले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस और सीबीआई की संयुक्त जांच टीम के गठन पर रोक है, लेकिन शाहजहां की गिरफ्तारी पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश ने किसी का नाम लिए बिना

तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधियों और मंत्रियों के एक वर्ग द्वारा हाल ही में की गई सार्वजनिक टिप्पणी का भी उल्लेख किया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा रोक के कारण राज्य पुलिस शाहजहां को गिरफ्तार करने में असमर्थ है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि अदालत आरोपियों को बचा रही है। राज्य पुलिस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में उसके खिलाफ इतनी सारी एफआईआर दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है।

सुनवाई के दौरान ईडी के वकील धीरज त्रिवेदी ने तर्क दिया कि यदि राज्य पुलिस शाहजहां को गिरफ्तार करती है, तो ईडी के लिए बाद के चरण में उसकी रिमांड हासिल करना मुश्किल होगा और इसलिए वह मामले की स्वतंत्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने फिर से कहा कि राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों, दोनों को शाहजहां को गिरफ्तार करने का अधिकार है।

यात्रियों से भरी हुई बस नदी में गिरी, 31 लोगों की मौत

बामाको। माली के परिवहन मंत्रालय ने फेसबुक पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि माली में पश्चिमी शहर केनीबा के पास एक यात्री बस नदी पर बने पुल से लहराती हुई नीचे गिर गई, जिससे बस में सवार कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई। बस बुर्किना फासो जा रही थी, जब शाम करीब



पांच बजे वह पुल से गुजर रही थी तो यह दुर्घटना हुई। बस में मालियन और पश्चिमी अफ्रीकी उपक्षेत्र के कई नागरिक सवार थे। इसमें कहा गया, संभावित कारण ड्राइवर का वाहन को नियंत्रित करने में विफलता थी। हादसे के बाद सरकार ने घोषणा की कि दक्षिणी माली में एक चालक

परिवहन बस और लॉरी के बीच एक हादसा हुआ है। कार के गहरी खाई में गिरे से 5 साल के बच्चे समेत 6 लोगों की मौत पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक आदमी गंभीर रूप से घायल है। यह दर्दनाक सड़क हादसा देहरादून जिले के चक्रता में त्यूणी अटाल मोटर मार्ग से गुजरते वक्त हुआ है। जानकारी के मुताबिक, दो महिलाओं और दो बच्चों सहित ये 7 लोग सुबह हिमाचल प्रदेश के पंद्राणु से त्यूणी के लिए आल्टो कार में सवार होकर निकले थे। हादसे की खबर मिलते ही त्यूणी थाना पुलिस के

दर्दनाक सड़क हादसा : त्यूणी अटाल मोटर मार्ग पर खाई में गिरी कार, 6 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल

विकासनगर (आरएनएस)। उत्तराखंड में एक बार फिर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। कार के गहरी खाई में गिरे से 5 साल के बच्चे समेत 6 लोगों की मौत पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक आदमी गंभीर रूप से घायल है। यह दर्दनाक सड़क हादसा देहरादून जिले के चक्रता में त्यूणी अटाल मोटर मार्ग से गुजरते वक्त हुआ है। जानकारी के मुताबिक, दो महिलाओं और दो बच्चों सहित ये 7 लोग सुबह हिमाचल प्रदेश के पंद्राणु से त्यूणी के लिए आल्टो कार में सवार होकर निकले थे। हादसे की खबर मिलते ही त्यूणी थाना पुलिस के



साथ एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंच कर रस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रस्क्यू टीम ने कई घंटों की कड़ी मशकत के बाद 2 महिलाओं और 2 बच्चों सहित 6 लोगों के शव को बामुश्किल गहरी खाई से बाहर निकाल लिया गया। घटना

हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे।
मृतकों का विवरण
1: सऊँ उम्र 35 वर्षी
2: सूरज उम्र 35 वर्ष निवासी: उपरोक्त
3: शोतल पत्नी सूरज उम्र 25 वर्ष निवासी: उपरोक्त
4: सजना पुत्री सविता देवी उम्र 21 वर्ष निवासी: उपरोक्त
5: दिव्याश पुत्र जीत बहादुर उम्र 10 वर्ष निवासी: उपरोक्त
6: यश पुत्र सूरज उम्र 5 वर्ष निवासी: उपरोक्त
विवरण घायल:
जीत बहादुर पुत्र सुख बहादुर उम्र 36 वर्ष निवासी: उपरोक्त

जापान ने विरोध के बावजूद फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के दूषित जल को प्रशांत महासागर में छोड़ना शुरू किया

टोक्यो। जापान ने बुधवार को फुकुशिमा वाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र से रेडियोधर्मी विकिरण वाला दूषित पानी प्रशांत महासागर में छोड़ने का चौथा दौर शुरू कर दिया। स्थानीय निवासियों और मछुआरों के विरोध के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया के बावजूद, संयंत्र के संचालक टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 11:30 बजे रेडियोधर्मी अपशिष्ट जल को महासागर में छोड़ना शुरू कर दिया। पिछले तीन दौरों के समान, लगभग 7,800 टन अपशिष्ट जल, जिसमें अभी भी ट्रिटियम, एक रेडियोधर्मी पदार्थ है, लगभग 17 दिन में छोड़ा जाएगा। देश में 11 मार्च 2011 को 9.0 तीव्रता के भूकंप और उसके बाद आई सुनामी से प्रभावित



फुकुशिमा परमाणु संयंत्र को कोर मेल्टडाउन का सामना करना पड़ा, जिससे बड़ी मात्रा में विकिरण हुआ। इसके परिणामस्वरूप स्तर -7 परमाणु दुर्घटना हुई, जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु और रेडियोलॉजिकल घटना पैमाने पर सबसे अधिक थी। रिक्टर भवनों में परमाणु ईंधन को संयंत्र से रेडियोधर्मी पदार्थों से दूषित पानी की भारी मात्रा बन रही है, जिसे अब परमाणु संयंत्र में टैंकों में संग्रहीत किया जा रहा है।

हिमाचल : क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 कांग्रेस विधायकों की सदस्यता खतरे में, स्पीकर ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

शिमला (आरएनएस)। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस से बगावत कर क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 कांग्रेस विधायकों की सदस्यता खतरे में है। सीएम सुखू ने स्पीकर को नोटिस भी जारी कर दिया है। संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान की ओर से दिए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि ये विधायक व्हिप जारी करने के बावजूद सदन में नहीं आए। अब स्पीकर कुलदीप पटानिया को इस मामले में निर्णय लेना है।



कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार पर मंडराए संकट के बीच बुधवार को कहा कि जनादेश को बरकरार रखने के लिए सारे विकल्प खुले हुए हैं तथा जरूरत पड़ने पर वह कठोर निर्णय लेने से पीछे नहीं हटेगा। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लोगों के अधिकार को कुचलना और प्रदेश

को 'राजनीतिक आपदा' में धकेलना चाहती है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर हुए मतदान में कांग्रेस के छह विधायकों द्वारा 'क्रॉस वोटिंग' देखे जाने के बाद भाजपा ने सीट पर जीत हासिल की थी और उसके बाद से राज्य में राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। पार्टी महासचिव जयराम मेशे ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पर्यवेक्षकों से बात की है और उनसे कहा है कि वे विधायकों से बात करके जल्द रिपोर्ट सौंपें। उनका कहना है कि पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा।